बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं0- 4052919 पटना, दिनांक 08/05/2025

ग्रा0वि0-R-504/95/2023-SECTION 14-RDD-RDD(COM NO-343248)

श्री सुरेन्द्र तांती, ग्रा०वि०से० (अनुक्रमांक-262328), प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरगंज (किशनगंज) के विरूद्ध समाज कल्याण विभाग के आदेश के आलोक में विभागीय जांच दल द्वारा दिनांक-19.04.2023 को समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय, बहादुरगंज एवं 5 आंगनबाड़ी केन्द्र की जांच की गयी, जिसमें कार्यालय कर्मचारियों की लॉगबुक संधारित नहीं होने, लोकायुक्त के मामलों से संबंधित पंजी संधारित नहीं होने, रोकड़पंजी में अग्रिम के रूप में 2,64,57,165.00/- रूपये का समायोजन नहीं होने सहित अन्य अनियमितता के आरोप पर समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6320 दिनांक-18.12.2023 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरगंज (किशनगंज) के पत्रांक-79 दिनांक-25.03.2022 द्वारा श्री तांती का स्पष्टीकरण विभाग में प्राप्त हुआ ।

जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री सुरेन्द्र तांती द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे आंगनबाड़ी केन्द्र ठीक स्थिति में नहीं चलने, उपस्थित बच्चों की संख्या पंजीकृत संख्या से काफी कम होने, बच्चो बिना ड्रेस के पाये जाने, बच्चों की पढ़ाई एवं अन्य गतिविधि ठीक ढंग से नही होने तथा वच्चों को नास्ता भी नहीं देने जैसे आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-3192145 दिनांक-20.09.2024 द्वारा 'चेतावनी' का दंड अधिरोपित किया गया है।

उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुगंज (किशनगंज) के पत्रांक-1019 दिनांक-15.10.2024 द्वारा श्री सुरेन्द्र तांती का पुनर्विलोकन अभ्यावेदन विभाग में प्राप्त हुआ । विभाग द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री तांती के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नही किये हैं, जिससे कि पूर्व में पारित आदेश को संशोधित किया जाय ।

अतः समीक्षोपरांत श्री सुरेन्द्र तांती के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

30.4.25

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Section-014\Year-2025\Office Order-2025\Notification(2025)-04.doc-

का०परि०
वही

ज्ञापांक:- 4052919 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 08/05/2025

ग्रा0वि0- R-504/95/2023-SECTION 14-RDD-RDD(COM NO-343248)

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- यथोक्त।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4052919 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 08/05/2025

ग्रा0वि0- R-504/95/2023-SECTION 14-RDD-RDD(COM NO-343248)

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, किशनगंज/ उप विकास आयुक्त, किशनगंज/जिला कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03 ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ श्री सुरेन्द्र तांती, ग्रा०वि०से० (अनुक्रमांक-262328), प्रखंड विकास पदाधिकारी, वहादुरगंज (किशनगंज) / आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4052919 / पटना, दिनांक :- 08/05/2025

ग्रा0वि0- R-504/95/2023-SECTION 14-RDD-RDD(COM NO-343248)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव